

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 2582

गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2022/1पौष, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन क्षेत्र की वृद्धि

2582. श्री सी.एन. अन्नादुरई:

श्री जी. सेल्वम:

श्री गजानन कीर्तिकर:

श्रीमती मंजुलता मंडल:

श्री धनुष एम. कुमार:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय विमानन क्षेत्र की वृद्धि दर क्या रही है;

(ख) देश में विमानन और वैमानिकी विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या विमानन क्षेत्र द्वारा अर्जित राजस्व इस क्षेत्र द्वारा प्राप्त विकास के अनुरूप नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अगले तीन वर्षों के दौरान देश में विमानन क्षेत्र में विकास के संबंध में कोई अध्ययन/मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इस आकलन के क्या परिणाम रहे;

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान व्यक्तिगत एयरलाइनों और समग्र रूप से इस क्षेत्र में वृद्धि का प्रतिशत क्या है और उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा उक्त एयरलाइनों से कितना राजस्व अर्जित किया गया है; और

(च) सरकार द्वारा भारतीय विमानन क्षेत्र के विकास के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क) से (च): पिछले तीन वर्ष के दौरान, दर्ज की गई भारतीय विमानन क्षेत्र की घरेलू वृद्धि दर नीचे दी गई है:

वर्ष	घरेलू यात्री (मिलियन में)	प्रतिशत वृद्धि
2019-20	275	-0.3%
2020-21	105	-61.7%
2021-22	167	58.5%

विमानन एवं वैमानिकी विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार 2,50,000 कर्मचारियों का है। इसमें पायलट, केबिन क्लर्क, इंजीनियर, तकनीशियन, हवाईअड्डा कर्मचारी, ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो, रिटेल, सुरक्षा, प्रशासनिक एवं सेल्स कर्मचारी आदि शामिल हैं।

आगामी तीन वर्षों के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आकलित ऑल-इंडिया पैसेंजर थ्रूपुट ग्रोथ निम्नानुसार दी गई है:

वर्ष	यात्री (मिलियन में)
2023-24	371
2024-25	412
2025-26	453

कोविड के दौरान आतिथ्य और विमानन सेक्टर सबसे अधिक दुष्प्रभावित हुआ है जिसने हितधारकों के राजस्व और लाभप्रदता को प्रभावित किया है। एयरलाइनों, हवाईअड्डों, ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व अनुबंध में संलग्न है।

वर्ष 2018-2019 की तुलना में, एयरलाइन सेक्टर की प्रतिशित वृद्धि 2019-20 में 23% (लगभग) थी तथा 2020-21 में वृद्धि ऋणात्मक -57% (लगभग) थी। तथापि, वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में वृद्धि 47% (लगभग) थी।

पिछले तीन वर्ष के दौरान, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा अर्जित राजस्व (लगभग) इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपये में)
2019-20	12,837
2020-21	4,867
2021-22	6,841

विमानन क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा अन्य हवाईअड्डा विकासकर्ताओं ने, अन्य गतिविधियों के साथ-साथ, मौजूदा टर्मिनलों के विस्तार और रूपांतरण, नये टर्मिनलों के निर्माण और रनवे के सुदृढीकरण के लिए अगले पांच वर्षों में हवाईअड्डा क्षेत्र में लगभग 98,000 करोड़ रुपये के पूँजीगत परिव्यय का लक्ष्य रखा है।
- (ii) भारत सरकार ने, देशभर में 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों, नामतः गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कलाबुरगी, विजयपुरा, हसन और शिवमोग्गा, मध्यप्रदेश में डबरा (ग्वालियर), उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा (जेवर), गुजरात में धोलेरा और हीरासर, पुडुचेरी में कराईकल, आंध्रप्रदेश में डगदर्थी, भोगपुरम और ओरवाकल (कुरनूल), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पकयोंग, केरल में कन्नूर तथा अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो और ईटानगर की स्थापना हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
- (iii) क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के अंतर्गत 70 हवाईअड्डों (नौ हेलीपोर्टों और दो वाटर एयरोड्रोमों सहित) को जोड़ते हुए 453 मार्गों को प्रचालनिक किया जा चुका है।
- (iv) घरेलू रखरखाव, रिपेयर तथा ओवरहॉल (एमआरओ) सेवाओं के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- (v) एक अनुकूल विमान पट्टाकारी और वित्तीयन माहौल तैयार किया गया है।
- (vi) एयरलाइनों की घरेलू क्षमता को कोविड-पूर्व स्थिति के समान कर दिया गया है।
- (vii) भारतीय हवाईअड्डों पर विमान दिक्कालन अवसंरचना में सुधार किया जा रहा है।

लोक सभा के दिनांक 22.12.2022 के लिखित प्रश्न सं. 2582 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(1) एयरलाइनों का लाभ/हानि (करोड में)

एयरलाइन	वि.वर्ष 2019-20	वि.वर्ष 2020-21	वि.वर्ष 2021-22
इंडिगो	1626.06	-5193.10	-3581.34
एअर इंडिया	-4660.30	-4700.96	-3693.71
एआई एक्सप्रेस	751.68	751.68	149.76
अलायंस एयर	65.46	65.46	-224.92
स्पाइसजेट	-507.93	-1383.67	-2216.74
विस्तारा	-1563.28	-1,675.09	-1254.45
गोफर्स्ट	-481.67	-343.42	-836.49
एयर एशिया	-813.09	-1396.03	-1810.29
ब्लूडार्ट	-96	89	81.20
कुल	-4,769.98	-12,479.10	-11,657.89

स्रोत: नागर विमानन महानिदेशालय

(2) कार्गो पर लाभ/हानि (करोड में)

कार्गो	वि.वर्ष 2019-20	वि.वर्ष 2020-21	वि.वर्ष 2021-22
सेलेबी	40	99	95
एएआईसीएलएएस	151	96	152
एआईएसएटीएस	26	47	29
कुल	217	242	276

(3) ग्राउंड हैंडलर्स के लिए लाभ/हानि (करोड में)

हवाईअड्डा	वि.वर्ष 2019-20	वि.वर्ष 2020-21	वि.वर्ष 2021-22
एआईएसएल	66	-203	15
एआईएसएटीएस	33	-76	4
सेलेबी	86	-29	11
कुल	185	-308	30

(4) पिछले तीन वर्ष के लिए भा.वि.प्रा का लाभ/हानि (करोड में)

वित्तीय वर्ष	लाभ/हानि
2019-20	1985.09
2020-21	-1962.06
2021-22	8.76

स्रोत: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

(5) पीपीपी हवाईअड्डों के लाभ/हानि का विवरण

(करोड रुपये में)

		वि.वर्ष 2018-19	वि.वर्ष 2019-20	वि.वर्ष 2020-21
क्र. सं.	हवाईअड्डे का नाम	लाभ / हानि	लाभ/ हानि	लाभ/ हानि
1	कोचीन	170.65	215.12	-87.21
2	बेंगलौर	674.10	309.10	-572.8
3	हैदराबाद	732.75	636.81	-151.00
4	कन्नूर	-46.17	-94.66	-184.06
5	दिल्ली	-111.77	13.15	-317.41
6	मुंबई	96.04	-119.12	-331.64
7	अहमदाबाद*	लागू नहीं	लागू नहीं	-83.28 (नवंबर 20 से मार्च 21 तक)
8	लखनऊ*	लागू नहीं	लागू नहीं	-38.21 (नवंबर 20 से मार्च 21 तक)
9	मैंगलुरु*	लागू नहीं	लागू नहीं	-28.97 (नवंबर 20 से मार्च 21 तक)
10	जयपुर**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	गुवाहाटी**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12	तिरुवनंतपुरम**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
13	दुर्गापुर	-49.70	-49.50	-54.10

-लागू नहीं, चूंकि इस अवधि के दौरान हवाईअड्डे का प्रचालन और प्रबंधन भा.वि.प्रा द्वारा किया गया।

*हवाईअड्डों को अक्टूबर/नवंबर 2020 में निजी साझेदारों के सुपुर्द कर दिया गया है।

** हवाईअड्डों को अक्टूबर 2021 में निजी साझेदारों के सुपुर्द कर दिया गया है।
